कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 3(13)तकनीकी/प्रमुवसं/ट्री/2016–17/ 254 दिनांक 21/3/17

मॉडल समिति बैठक कार्यवाही विवरण

अध्यक्ष, आर.आर.बी.एण्ड डब्ल्यू.आर.पी.ए. के पत्रांक F()RRB&WRPA/Watershed/990 dated 10.03.2017 के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) को सम्बोधित करते हुए प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0, जयपुर कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया है कि नाबार्ड, जायका इत्यादि से वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यों में जिनका कन्वर्जेन्स मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों के साथ किया गया है उन्हें मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जारी गाईडलाईन के अनुसार ही कराया जाए। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान फील्ड मैनुअल के अनुसार विभिन्न ढलान वाले क्षेत्रों में निम्नानुसार ट्रेंच बनाने का प्रावधान किया गया है–

STAGGERD TRENCHES (As per MJSA-field manual)
For the area with 6-20% slope
Cross section of one SGT = {(1.05+0.45)/2}X0.60=0.45 sq.m.)
Number of Trenches in 1 ha.= 50 size of trench 10 mt.
Total cum per ha.=50x10x0.45=225.00 cmt.
Continuous Contour Trenches
For the area with 3-6% slope
Cross section of one CCT={(1.70+0.50)/2}x0.60=0.66 sq.m
Number of trenches in 1 ha.= 9x4.5=40.5
Total cum per ha.=40.5x10x0.66=267.30 cmt
Deep Continuous Contour Trenches
For the area with 0-3% slope
Cross section of one CCT={(1.50+0.50)/2}x1.00=1.00 sq.m
Number of trenches in 1 ha.= 9x1.5=13.5
Total cum per ha.=13.5x10x1.00=135.00 cmt

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांकः एफ ( )मॉडल्स/प्रमुवसं/ट्री/2013/1508–15 दिनांक 20.7.2015 से मॉडल श्रमिक दर 189/– पर प्रतिदिन के आधार पर जारी किए गए थे। यह मॉडल ए.एन.आर., आर.डी.एफ. I एवं आर.डी.एफ. II के अंतर्गत वन क्षेत्रों के रिजनरेशन को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं तथा मॉडल्स में प्रति है0 400 र0मी0 कन्टूर ट्रेंच 0.45x 0.45x 0.45 मीटर खोदने का प्रावधान है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान जिसका उद्देश्य हर गाँव को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना है इसके अंतर्गत ही आर.बी.ए. की मार्गदर्शिका के अनुसार स्टेगर्ड, कन्टीनूअस, डीप कन्टूर ट्रेंच निर्मित की जानी है। चूँकि इनका प्रावधान वन विभाग के मॉडल्स में नहीं है अतः इस मुद्दे पर विचार करने एवं अपनी अभिशंषा देने हेतु मॉडल्स समिति की बैठक डॉ0 सुरेश चन्द्र, अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की अध्यक्षता में दिनांक 15.3.2017 को अरण्य भवन, जयपुर में आहूत की गई जिसमें निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. श्री एस.के. दुबे, मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
2. श्री ए.बी. रामटके, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
3. श्री इन्द्राज सिंह, मुख्य वन संरक्षक, कोटा
4. सुश्री शिखा मेहरा, मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
5. डॉ0 नमिता प्रियदर्शी, मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर
6. डॉ0 गोविन्द सागर भारद्वाज, मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
7. श्री दया सिंह दुल्लड़, मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर
8. सुश्री रागिनी सक्सैना, वित्तीय सलाहकार (वन), राज0, जयपुर

उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–संरक्षण, राजस्थान एवं मुख्य वन संरक्षक, आर.एफ.बी.पी.–II, मुख्य वन संरक्षक, बनास परियोजना विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया गया।

मुख्य वन संरक्षकगण के ध्यान में लाया गया कि एम.जे.एस.ए. के अंतर्गत जारी दिशा–निर्देशों की कार्य सम्पादन मार्गदर्शिका दिनांक 17.2.2017 को समस्त मुख्य वन संरक्षकगण को प्रेषित की जा चुकी है तथा मार्गदर्शिका के पृष्ठ संख्या 86 की संशोधित प्रति भी दिनांक 21.2.2017 से प्रेषित की जा चुकी है। एम.जे.एस.ए. के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता, स्थायित्व व उपादेयता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों द्वारा सम्पादित समान प्रकृति के कार्यों में एकरूपता रखने एवं वन क्षेत्रों में अधिक से अधिक जल संरक्षण करने के उद्देश्य से जल संरक्षण संरचनाओं (ट्रेंच) का निर्माण किया जाना है इस संबंध में मुख्य वन संरक्षकगण द्वारा अपने मत व्यक्त किए गए।

1. एम.जे.एस.ए. फील्ड मेनुअल के अनुसार 6–20 प्रतिशत ढलान में प्रस्तावित ट्रेंच बनाया जाना जे.सी.बी. मशीन द्वारा भी बहुत मुश्किल है। यदि मशीनों से ये कार्य करवाया भी जावेगा तो क्षेत्र के रूट स्टॉक को भारी क्षति होगी।
2. उच्च ढलान वाले क्षेत्र में इस प्रकार की गहरी ट्रेंचों से भू–क्षरण में वृद्धि होगी। बरसात के पश्चात् इस प्रकार की ट्रेंचे नालों का रूप ले लेगी।
3. गहरी ट्रेंचें वन्य जीवों, मवेशी एवं इंसानों के लिए भी हानिकारक होगी।
4. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की एस.बी. रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.5.2012 की पालना में राज्य सरकार द्वारा 0.45X0.45X0.45 से अधिक गहरी नहीं खोदने के संबंध में आदेश दिये गये।
5. इस प्रकार के चौड़ी ट्रेंच खोदने से क्षेत्र की वनस्पति, रूट स्टॉक एवं नेचुरल री–जनरेशन पर विपरीत प्रभाव पडेगा।
6. मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने अवगत कराया कि संभाग में पत्थरीला क्षेत्र होने से गहरी ट्रेंचे खुदवाया जाना बहुत मुश्किल होगा।
7. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर ने बताया कि 0–3 प्रतिशत ढलान में जो ट्रेंच प्रस्तावित की जा रही है लगभग उसी के अनुरूप वृक्षारोपण की डिच फेंन्सिग साइज (1.5 मीटर + 0.90 मीटर)/2X1.20 =1.44 वर्ग मीटर के रूप में किया जा रहा है।

8. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर एवं जोधपुर ने अवगत कराया कि इस वर्ष आवंटित कार्यो के अग्रिम कार्य (ZERO YEAR) लगभग पूर्ण हो गये है। माह अप्रेल में प्रथम वर्ष के कार्यो के दौरान एम.जे.एस.ए. फील्ड मेनुअल के अनुसार ट्रेंचेज खुदवायी जा सकती है।
9. इसी वित्तीय वर्ष में एम.जे.एस.ए. फील्ड मेनुअल के अनुसार ट्रेंचेज खुदवाने में पृथक से वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी एवं पृथक–पृथक बिल तैयार करने होंगे जिसके लिए अधीनस्थ स्टॉफ पर्याप्त दक्ष नहीं है।
10. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर ने अवगत कराया कि विभागीय नॉर्मस के अनुसार खुदवायी जाने वाली ट्रेंचों से जल संरक्षण का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
11. करौली, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर में पठारी क्षेत्र होने के कारण ट्रेंचों को प्रस्तावित आकार की खुदवाया जाना संभव नहीं होगा।
12. ट्रेंचे साईट अनुसार कम एवं ज्यादा हो सकती है।
13. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस प्रकार की ट्रेंचें बनवाने से कार्य ओवरलेप होंगे।
14. एम.जे.एस.ए. फील्ड मैनुअल के अनुसार ट्रेंचेज बनाने पर होने वाला अतिरिक्त व्यय केवल एम.जे.एस.ए. के अनटाईड फण्ड से उपलब्ध कराया जाये क्योंकि यह कार्य अन्य योजनाओं के अंतर्गत नहीं हो पाएगा।

मॉडल समिति द्वारा विभिन्न मुख्य वन संरक्षकगण के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए मॉडल समिति अभिशंषा करती है :–

- कि वन विभाग द्वारा एम.जे.एस.ए. के अंतर्गत कन्वर्जेन्स के कार्यों को जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विकास विभाग के अनुरूप राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.8.2015 के अनुरूप वन विभाग पर बिन्दु संख्या 2,3 एवं 4 लागू न होने की स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवाई जाए।
- वन विभाग के कार्य 0 वर्ष तथा प्रथम वर्ष में विभक्त हैं तथा उसी अनुरूप बजट प्रावधान भी उपलब्ध होता है एवं तद्नुसार ही प्राक्कलन स्वीकृत किए जाते हैं। एम.जे.एस.ए. के अंतर्गत कन्वर्जेन्स के 0 वर्ष के कार्य जनवरी माह में ही प्रारम्भ कर दिए गए थे जिनमें ट्रेंचों व खड्डों का लगभग 70–80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पूर्व में खोदी हुई ट्रेंचें विभागीय मॉडल/नॉर्मस के अनुसार ही हैं तथा ट्रेंचों के बीच में खड्डों की खुदाई भी की गई है यदि खोदी हुई ट्रेंचों का अब साईज बढ़ाया जाता है तो उनकी गणना में अनियमितता होने की सम्भावना होगी तथा खोदे हुए खड्डों का भी आकलन करना मुश्किल होगा अतः 0 वर्ष की ट्रेंचों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तथा प्रथम वर्ष में जो ट्रेंचे एवं खडडे खोदे जाने हैं उन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत एम.जे.एस.ए. की फील्ड मैनुअल के अनुसार ही खोदा जाए।
- वन विभाग के मॉडल्स में 200 से 500 खड्डे साइज 0.45X 0.45X 0.45 घन मीटर प्रति हैक्टर का प्रावधान होने से ट्रेंचों की लंबाई 400 र0मी0 ही सीमित रखी जाए।
- एम.जे.एस.ए. के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के अंतर्गत ट्रेंच खोदने का कार्य नवाचार के तौर पर इस वर्ष कराया जाए तथा इनके प्रभाव की जानकारी के पश्चात् भविष्य में इस पर निर्णय लिया जाए।

- एम.जे.एस.ए. के अंतर्गत खोदी जा रही कन्टूर ट्रेंच का कार्य केवल एम.जे.एस.ए. के कन्वर्जेन्स कार्यों पर ही लागू होगा। वन विभाग द्वारा एम.जे.एस.ए. गांवों के अतिरिक्त कार्य स्थलों पर कराए जा रहे कार्यों पर लागू नहीं किया जावे।
- ट्रेंचों की खुदाई हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी जिसका प्रावधान केवल एम.जे. एस.ए. के अनटाइड फण्ड से उपलब्ध होने पर ही सम्भव हो पायेगा। यह कार्य अन्य योजना यथा महानरेगा के अंतर्गत संभव नहीं होगा।
- डीप कन्टीनूअस कन्टूर ट्रेंच जो 0 से 3 प्रतिशत स्लोप पर निर्मित की जानी है उनके स्थान पर वन विभाग के प्रत्येक कार्य पर (1.5 मीटर + 0.90 मीटर)/2 X 1.20 =1.44 वर्ग मीटर की कन्टीनूअस ट्रेंच वृक्षारोपण की बाउन्ड्री पर सुरक्षा हेतु खोदी जा रही है वह डीप कन्टीनूअस कन्टूर ट्रेंच का ही कार्य कर रही है जो सुरक्षा एवं जल संरक्षण दोनों का कार्य करेगी। अतः डीप कन्टीनूअस कन्टूर ट्रेंच को वृक्षारोपण क्षेत्र में करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- पठारी क्षेत्रों मे जहां गहरी ट्रेंचे बनना संभव नहीं है वहां ट्रेंच की चौडाई बढाकर ट्रेंच के आयतन को बढाया जा सकता है।
- वन क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहां अभी तक ट्रेंचे नहीं बनाई गई है एवं एम.जे.एस.ए. फील्ड मैनुअल के अनुसार ट्रेंचे बनाई जा सकती है उन्हीं में ट्रेंचे बनायी जावे। किन्तु जिन क्षेत्रों में पूर्व में ट्रेंचे एवं खड्डे खुदे हुए हैं उनमें उन्हीं ट्रेंचों की साइज फील्ड मैनुअल के अनुसार किया जावे जहां अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो एवं खोदे गए गड्डों का नुकसान नहीं हो।

(टी.सी. वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
एवं (सदस्य सचिव)
मॉडल अनुमोदन समिति

क्रमांकः एफ 3 (13) तकनीकी/प्रमुवसं/ट्री/2016–17/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एवं अध्यक्ष मॉडल अनुमोदन समिति।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बनास नदी परियोजना, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार वन विभाग अरण्य भवन, जयपुर।

कृपया इनको मेल करें।
21/3/17

(टी.सी. वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
एवं (सदस्य सचिव)
मॉडल अनुमोदन समिति